भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2791** जिसका उत्तर

गुरूवार, **5 अगस्त**, 2021/14 श्रावण, 1943 (शक) को दिया जाना है

हरित पत्तन

†2791. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

श्री भोला सिंह:

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):

डॉ. सुकान्त मजूमदार:

श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में हरित पत्तनों की पहचान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में निर्धारित मानदंडों सहित हरित पत्तन घोषित/घोषित किए जाने के लिए प्रस्तावित पत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पत्तनों पर विशेष यार्ड या डॉक से रसायनों और खतरनाक सामग्रियों को संभालने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) देश में कई पत्तनों पर खाली पड़ी भूमि का उपयोग करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क), (ख) और (ग): जी, नहीं। तथापि, सरकार ने महापत्तनों में हरित पत्तन पहले शुरू की हैं ताकि उनका पर्यावरणीय निष्पादन सुधारा जा सके। हरित पत्तन पहलों में पर्यावरणीय प्रदूषण की निगरानी के लिए उपकरणों की खरीद, धूल कम करने की प्रणालियों की खरीद, सीवेज/बेकार पानी के प्रशोधन संयंत्रों को स्थापित करना, पत्तनों और पोतों के लिए कूड़ा निस्तारण प्रणाली स्थापित करना, पोतों से निकलने वाले अपशिष्टों के लिए तट रिसेप्शन सुविधा विकसित करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादित करने के लिए परियोजनाएं स्थापित करना, बर्थ पर पोतों के लिए तटीय बिजली प्रदान करना, सभी पत्तनों पर तेल रिसाव प्रतिक्रिया (टियर-1) क्षमताएं सृजित

करना, टर्मिनल डिजाइन, विकास एवं प्रचालन में दीर्घकालिक प्रथाएं शामिल करना, पत्तन परिसरों में हरियाली बढ़ाना आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ): विभिन्न पत्तनों द्वारा पेट्रोलियम एंव विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान (आईएमडीजी) संहिताओं के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए रसायनों तथा खतरनाक सामग्रियों की संभलाई की जाती है।

(च): देश में विभिन्न पत्तनों पर बेकार और खाली पड़ी भूमि का उपयोग पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण के विकास सहित एक सतत प्रक्रिया है। इन भूमियों का आबंटन महापत्त्नों द्वारा भूमि प्रबंधन के लिए नीति दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार भूमि के आबंटन की प्रक्रिया को समय-समय पर सरल करती है।

*****